

विषय:

एफ-१९-५४५/२०१५/स्था/१९
विषय:- याचिका क्रमांक-४३५७/२०१५ द्वारा श्री नितिन अष्ठाना
विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

-०-

पंजी क्रमांक-६९५६/२०१५ दिनांक १६.१२.२०१५
शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय ग्वालियर से प्राप्त पत्र।

-०-

मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर से प्राप्त याचिका क्रमांक-
४३५७/२०१५ द्वारा श्री नितिन अष्ठाना विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन
एवं अन्य पीटीशन प्राप्त हुई है। जिसका संबंध कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण संभाग दतिया से है।

अतः प्रकरण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, दतिया
को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।

आदेशार्थ।

अनुभाग अधिकारी,

अनुभाग अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी
अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
आपक नं. १६२६३
दिनांक ६/१/१६

का विभाग

छम्बीस-२ सचिवालय

विषय:

एफ-१९-५४५/२०१५/स्था/१९
विषय:- याचिका क्रमांक-४३५७/२०१५ द्वारा श्री नितिन अष्ठाना
विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

-०-

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

का विभाग

अनुभाग अधिकारी

17-484/2015

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
Gwalior**

Process Id: 36223/2015

WP/4357/2015

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

FOR ADMISSION
Fixed for 11-01-2016
DA- 04
Respondent No. 1
RAD

To,

The State of Madhya Pradesh Thr,
Principal Secretary, Public Work
Department, Mantralaya, Govt. of M.P.,
Vallabh Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

6956
16/12/15

Gwalior 05-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo
Warranto) No. WP/ 4357/ 2015


Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Nitin Asthana** has filed a petition under Article
226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ
Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/4357/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged
Advocate on or before **11-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and
decided ex parte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your faithfully



AFFIXED AT GWALIOR

ASSISTANT REGISTRAR
Assistant Registrar
High Court of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

Writ Petition No. 4357 2015

PETITIONER : Nitin Asthana

-Versus-

RESPONDENTS : State of M.P. through & others

DATE OF EVENTS

DATE	EVENTS
11.08.2007	Petitioner's father expired.
25.06.2008	Respondent no. 3 has sent the application to the respondent no. 4.
08.04.2009	R-2 has written to R-3 to get the necessary documents.
10.07.2009	Petitioner again submitted the application.
11.02.2010	Consent was asked from the petitioner regarding SSS
22.07.2010	Consent was given.
17.02.2012	R-4 has written to the R-5 to do the needful.
13.12.14	Award passed by the Lok Adalat
11.2.15	Notice issued through counsel

Dt. 9/07/2015

Gwalior

Humble Petitioner

Through counsel

(Amit Lahoti)

(Ankur Maheshwari)
Advocates

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

Writ Petition No. 4357 2015

PETITIONER : Nitin Asthana

-Versus-

RESPONDENTS : State of M.P. through & others

INDEX

S. No	Description of documents	Annexure No. (If any)	Page No. Document
1	Memo of writ petition		1 - 6
2	Affidavit		7
3	List of Annexure		8
4	Certificate of educational qualification of graduation	P/1	9
5	Application dt. 10.7.09	P/2	10
6	Policy dt. 18.8.08	P/3	11-19
7	Letter dated 22.12.11	P/4	20
8	Letter dated 29.12.11	P/5	21
9	Order dt. 18.4.12	P/6	22
10	Award dt. 13.12.14	P/7	23-25
11	Applications	P/8	26-27
12	Notice dt. 11.2.15	P/9	28-29
13	Vakalatnama		30

Dt. 9/7/2015
Gwalior

Humble Petitioner
Through counsel

(Amit Lahoti)

(Ankur Maheshwari)
Advocates

(1)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

Writ Petition No. 4357 / 2015

PETITIONER : Nitin Asthana S/o Late Shri
Sudhir Asthana, Aged 30
years, Occupation-Nothing, R/o
Sudamapuri, C/o Shri Gajendra
Rawat, Morar, Gwalior (M.P.)

-Versus-

- RESPONDENTS :**
1. State of M.P. through the Principal
Secretary, Public Works
Department, Mantralaya, Govt.
of M.P. Vallabh Bhawan, Bhopal
(M.P.)
 2. Chief Engineer, North, Public
Works Department, Gwalior (M.P.)
 3. Executive Engineer, Public Works
Department, Division Datia (M.P.)
 4. Collector, District Datia (M.P.)

(WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA)

May it please this Hon'ble Court;

The petitioner humbly submits the memo of writ petition as
under:-

1. PARTICULARS OF CASE AGAINST WHICH THE
PETITION IS MADE:

- (1) Date of Order Nil

(2) Passed in

(3) Passed by

(4) **SUBJECT-MATTER IN BRIEF:**

(2)

The petitioner is filing this petition challenging the
action of the respondents whereby despite the order
passed by the Lok Adalat in W.P.No. 4059/2013 on
13.12.2014 regarding considering the case of the
petitioner for compassionate appointment against the
vacancies available in the PWD or in the alternative
departments within a period of two months from the date
of the order, the case of the petitioner for grant of
compassionate appointment has not yet been considered
despite submitting various reminders and notices, hence
this petition.

2. PETITIONER DECLARES THAT NO PROCEEDING ON
THE SAME SUBJECT MATTER HAS BEEN
PREVIOUSLY INSTITUTED IN ANY COURT,
AUTHORITY, OR TRIBUNAL.

3. DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED:

Petitioner declares that he has availed all statutory and
other remedies.

4. DELAY, IF ANY, IN FILING THE PETITION AND
EXPLANATION THEREFOR:

The petitioner declares that there is no delay in filing the
present petition.

5. FACTS OF THE CASE:

- 5.1 That, the father of the petitioner was posted at Datia in
PWD department as Sub Engineer and during the course

3

of employment he had expired on 11.08.2007 and he is left his ailing wife, petitioner the only son as well as two daughters.

5.1.1 That, the petitioner has applied for appointment on compassionate ground in the department. It is relevant to point out here that petitioner is graduate in commerce as well as eligible in computer education also and he is fully eligible to be appointed on any class III posts. Copy of the certificate of educational qualification of graduation is enclosed herewith and marked as **Annexure P/1**.

5.2 That, despite that when no action was taken then petitioner again submitted an application on 10.07.2009. Copy of the aforesaid application is enclosed herewith and marked as **Annexure P/2**.

5.3 That, since the case of the present petitioner is governed by the policy of compassionate appointment dated 18.08.2008, copy whereof is enclosed herewith and marked as **Annexure P/3** therefore, the respondent no.2 has written a letter to the respondent no.4 that for want of availability of post, as per clause 10.1 of the policy the matter has been sent to the Collector i.e. respondent no.4 for further action. Copy of the aforesaid letter dated 22.12.2011 is enclosed herewith and marked as **Annexure P/4**. In turn the respondent no. 4 has written a letter to the concerning Jila Panchayat for appointment on the post of SSS-2 or SSS-3 on 29.12.2011. Copy of the aforesaid letter dated 29.12.2011 is enclosed herewith and marked as **Annexure P/5**.

5.4 That, thereafter the respondent no. 5 has issued the order dated 18.04.2012, copy of which is enclosed herewith and marked as **Annexure P/6**, whereby even the claim for appointment on the post of SSS-III was turned down on the ground that petitioner does not have 50% marks in the minimum qualification.

4

5.5 That, challenging the aforesaid order the petitioner has earlier preferred a writ petition which was registered as W.P.No.4059/2013 wherein the petitioner has taken the ground that since the posts in PWD Department are available and therefore as per the policy of the compassionate appointment the case of the petitioner was required to be considered. The Hon'ble Lok Adalat vide its award dated 13.12.2014 has directed the respondents to consider the case of the petitioner for compassionate appointment against the vacancies available in the PWD or in the alternative departments within a period of two months from the date of the award. Copy of the award dated 13.12.2014 is enclosed herewith and marked as **Annexure P/7**.

5.6 That, consequent thereupon the petitioner has submitted applications to the respondents for complying the order of the Hon'ble Lok Adalat. Copies of the aforesaid applications are enclosed herewith and marked as **Annexure P/8**.

5.7 That, when nothing was done, a notice through counsel was also issued on 11.2.2015 to the respondents. Copy of the aforesaid notice is enclosed herewith and marked as **Annexure P/9**. However, despite the same nothing is being considered and no sanctity is being given by the respondents to the order passed by the Hon'ble Lok Adalat.

5.8 That, in the fitness of things and in the peculiar facts and circumstances of the case a suitable direction may be issued to the respondents to consider the case of the petitioner for compassionate appointment in the PWD or other departments and also direction for execution of the award dated 13.4.2014.

The other submissions shall be urged at the time of hearing.

(5)

Therefore, being aggrieved by the inaction on the part of the respondents the petitioner is filing this petition before this Hon'ble Court:-

6. GROUNDS:-

The subject matter of the petition is such that the grounds are inseparable from the facts, as such, the same have already been taken in the factual matrix, hence, are not repeated here.

7. RELIEF SOUGHT:

It is, therefore, humbly prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow this petitioner and may further be pleased to grant following relief to the petitioner:

- i) That, the respondents may be directed to consider the case of compassionate appointment of the petitioner in consonance with the award dated 13.12.2014 passed by the Lok Adalat in W.P.No.4059/2013.
- ii) That, the respondents may also be directed to execute the award dated 13.12.2014 passed by the Lok Adalat in W.P.No.4059/2013
- iii) Any other suitable direction which this Hon'ble Court deems fit in the facts and circumstances of the case may kindly be passed

8. INTERIM RELIEF, IF ANY PRAYED FOR:

No interim is prayed for at this stage.

9. DOCUMENTS RELIED ON BUT NOT IN POSSESSION OF THE PETITIONER:

NIL:

10. CAVEAT:

That, no notice of lodging a caveat by the opposite party is received.

Dt. 2/07/2015
Gwalior

(6)

Humble Petitioner
Through counsel

A
(Amit Lahoti)
(Ankur Maheshwari)
Advocates

DECLARATION

The copies, as required by rule 25 of Chapter X of the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2005, have been served upon G. A (the person upon whom the copies have been served) at 9:30 (time) on 2/7/15 (date) in Gwalior (Place)

Dt. 2/07/2015
Gwalior

Humble Petitioner
Through counsel

A
(Amit Lahoti)
Advocate

(7)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

Writ Petition No. _____ / 2015

PETITIONER : Nitin Asthana

-Versus-

RESPONDENTS : State of M.P. & others

AFFIDAVIT

I, Nitin Asthana S/o Late Shri Sudhir Asthana, Aged 30 years, Occupation-Nothing, R/o Sudamapuri, C/o Shri Gajendra Rawat, Morar, Gwalior (M.P.), do hereby affirm on oath and state as under:

1. That, I am the petitioner in the instant petition and fully conversant with the facts of the case.
2. That, the present petition has been got drafted under my instructions and the contents of paras 1 to 4 and 7 to 10 of the petitioner are as per the format.
3. That, the contents of the paras 5.1 to 5.8 are the facts of the case and the same are true and correct to my personal knowledge and belief.
4. That, the documents annexed with the Writ Petition are the Xerox/typed copies of the original.

Nitin Asthana

DEPONENT

VERIFICATION

I, abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of this affidavit made in para 1 to 4 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false or anything has been concealed therein. Hence, verified and signed on this _____ day of July, 2015 at Gwalior.

Gwalior
Date ___/07/2015

Nitin Asthana
DEPONENT

(8)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

Writ Petition No. _____ / 2015

PETITIONER : Nitin Asthana

-Versus-

RESPONDENTS : State of M.P. through & others

LIST OF DOCUMENTS

S. No.	Description of documents	Date of document	Original /Copy	No. of pages
1.	Certificate of educational qualification of graduation	18.04.2012	Copy	
2.	Application dt. 10.7.09	10.7.09	Copy	
3.	Policy dt. 18.8.08	18.8.08	Copy	
4.	Letter dated 22.12.11	22.12.11	Copy	
5.	Letter dated 29.12.11	29.12.11	Copy	
6.	Order dt. 18.4.12	18.4.12	Copy	
7.	Award dt. 13.12.14	13.12.14	Copy	
8.	Applications		Copy	
9.	Notice dt. 11.2.15	11.2.15	Copy	

Dt. 9/07/2015

Gwalior

Humble Petitioner

Through counsel

(Signature)
(Amit Lahoti)

(Ankur Maheshwari)
Advocates

पुत्र स्व. श्री सुधीर अष्ठाना
नगर निगम कॉलोनी, गुप्ता हॉस्पिटल के सामने
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

ANNEXURE P/3

P/3

P/3

11

12

अध्यक्ष राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

सामर्थ्य प्रमाण समुच्चय

THE

संस्कृत संस्कृत

समस्त पक्ष का मतानुसार निर्णय लिया गया है।

सूक्ष्म प्रकाश

विषय- श्रीमान् श्री रोवकु ली सेवाकाल में मृत्यु होने पर शान्तिार्थ निरुद्धि वाण्डा।

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक सी-3-7/2000/3/1 दिनांक 22.1.07
क्रमांक सी-3-4/08/3/1 दिनांक 11.7.08 एवं 23.2.08 एवं वित्त विभाग
का ज्ञापन क्रमांक 1093/806/07/विभाग वृत्त दिनांक 21.8.07

संशोधन करने हुए अन्य शास्त्रों से लब्ध हुए विचारों को एकत्रित करके प्रस्तुत किया

निम्न परिस्थिति में जलवायु विभाग की जायगी

निर्वाणायकः विवाहः

2-आवस्था विधान की प्रणाली

21. विद्या ऽ शासकीय संस्कृतिका पत्नी अथवा पति आश्रित पति भूत नहीं

2.2 विद्यमान शासकीय संरचना का अर्थ अर्थात् वर्तमान विधान पुरी विधान की मूल्य हो जाती है अर्थात् जो संरचना के दो किस्म की पहली किस्म की संरचना विद्यमान अर्थात् संरचना के दो किस्म की शासकीय संरचना के दो किस्म की संरचना पर पूर्णतः आधारित किस्म की संरचना हो

२३ अधिकाधिक विरागल शास्त्रीय सेवक को माता-पिता अधिकाधिक धन को दिवंगत शास्त्रीय सेवक के माता-पिता की अनुमति के बिना न दें।

2.4. यदि एक से अधिक अभ्युक्तों को नियुक्ति के पात्र सदस्य जिते हैं, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च पक्ष/पति को अनुसूचित एवं पति/पत्नी के नैतिक और परिवार की सर्वसम्मति से किसी एक सदस्य को अभ्युक्तों के नियुक्ति के पात्रता होगी। परिवार में एक व्यक्ति न होने पर संबंधित जिते के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे अनुसूचित नियुक्ति दी जावे।

3- अनुसूचित जाति की पात्रता की शर्तें

3.1 दिवांगत शालाओं के "सु" के परितरे पा सवेरय हनुम्या नियुक्ति केन को पात्र होना जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो।

3.2 शासकीय सेवक की पूर्ण दिमाक से 7 (सात) सप्ताह तक पद छोड़ने की पर ही उसके आदेश की पूर्ण निर्यात की मात्रता होवे।

कहते हैं कि अन्धों के लिए पिछले दिनों कर्मचारी के अहंता की अनुपम विप्लवित्त इस अन्ध घर देख होगी जि सब को मरिदियार द्वारा मरिदियार के लापता हो गिरी पुलिस में रा आई आर दर्ज की गई है एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई प्रमाण नहीं मिले का प्रतिवेदन दिया गया है 76 वर्ष की अवस्था की मरिदियार का आई आर दर्ज करने हान के तनाक से की जावेगी

आनुपात निषिद्ध है यदि आप वा

विनोदः ३ विंति मे अनुरागः विह्वलः ॥ पादयो नदी ज्योती

[illegible]

42. निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य के लिए एक वाक्य लिखें जो वाक्य के बाद
आवर्तित / गतिविधि / संसाधन / वाक्य के दोषों को दर्शाता है।

4.3. यदि जातिगत आधार पर भूत कर्मियों को परिवार के सदस्यों का सूचीबद्ध किया जा रहा है तो इसका निराकरण होना चाहिए।

4.4 क्या निम्नलिखित में से किसी भी राज्य सरकार द्वारा उच्च/उत्तराधिकारी या सरकारी/निजी क्षेत्र/यिमी/सामाजिक आक्रमण/पक्ष/निगम/मंडल/आदि द्वारा भेदभाव व्यापित है?

4. यदि विद्यार्थी किसी भी कारणवश प्रविष्टि, तदर्थ अथवा उपादान के अभाव में विफल किया गया हो।

46. दिनांक 1.1.20 के चूक शराबसहित दुष्कर्मियोंसहित प्रकरणा पर कार्रवाई किया जायेगा:-

- 47 दिवंगत शारादीश सेवक के परिवार के बिन्दु क्रमांक 21 से 24 में दर्शाये जाते हैं।
आशित सदस्यों की छोड़कर अन्य को अनुप्राण नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
- 48 कार्यालय प्रमुख/नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये
व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेगा कि दिवंगत शारादीश सेवक के परिवार को
घास्त में तात्कालिक सहायता के रूप में अनुप्राण नियुक्ति की पात्रता है।

अनुसूचित जाति के पद

निम्न पदों पर अव्ययों नियमित की जा सकती -

- 5.2 अल्पशिक्षा विभाग में अल्पशिक्षा को जेल विभाग में प्रवेशी एवं शैक्षणिक तथा परिचर विभाग में आचार्य के पद पर शैक्षणिक रूप से प्रशिक्षण देने एवं नियमित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक विभागों में नियुक्त किया जा सकेगा।
- 5.3 यदि किसी पद के लिए अनुभव, प्रशिक्षण, निर्धारित परीक्षा, उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है, तो संबंधित अधिकारी को यह माना जावे कि उस व्यक्ति को उसके पर प्रशिक्षण के बिना एवं सोचविचारपूर्वक प्रशिक्षण / परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे

[illegible]

- [illegible]

3. सरती नियमों में आवधानित सभी प्रक्रिया तथा सहायक कार्यालय में प्रचारित संबंधी शर्तों से छूट रहेगी।
34. अधिवक्ता आग सीमा संबंधी शर्तों मूलक शासकीय सेवकों की पाली के सामने से पूर्णतः शिथिल रहेंगी। साथ ही मूलक शासकीय सेवकों के आश्रित को अनुकूल नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आय सीमा में आठ वर्ष की छूट दी जायेगी।

७- निम्नलिखित में से पद रिक्त है वही प्रकिया

- [illegible]

३- आनकवा... र... य

92. अनुकम्पित व्यक्ति को आपत्तियों के निवारण के लिये एक उचित कामकाज के विधानों के अन्तर्गत एक विशेष नियमित दिवसों के आधिकार्य सामग्री को उद्घु के दिनांक से एकत्र कर लिया जाता है, जो आसकीय सेवा के दिवसों हुआ है उसके आश्रितों को पहले नियुक्त की जावेगी । परन्तु यह कि अगर दिवंगत आसकीय सेवा के आश्रितों को अनुकम्पित

संबन्धी प्रकरण में कोई जोड़ दिखाना है तो उसके किन्हीं पद सुरक्षित रखकर अन्य विहित शब्दकोष सेवकों से आशियों को उपयुक्तानुसार तैयार की गई सूची की लक्ष्यता को अनुरूप विनियमित हो जा सकेगा।

9.3 अनुसूची नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में सेवा प्रदान करने में सक्षम हो, परन्तु यह नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह पदोन्नति के लिए योग्य हो।

94. अनिकेत विद्यापीठ, मुंबई च्या कामगार या विभागात १० जागेची निवडणूक विहित प्रमाणानुसार १० जागे निवडली आहे.

115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110

96. विद्याप्राप्त के लिये जो विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश करता है, उसे विद्यालय के नियमों का पालन करना पड़ेगा। विद्यालय के नियमों का पालन करने पर ही विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। विद्यालय के नियमों का पालन करने पर ही विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। विद्यालय के नियमों का पालन करने पर ही विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी।

अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि हमें अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करने का अवसर मिले। इससे न केवल हमारे विचारों में सुधार आता है, बल्कि हमें नए विचारों का भी सामना करना पड़ता है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१५. विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने अध्ययन के साथ-साथ खेल-क्रीडा, कला-कौशल, सामाजिक कार्य आदि में भी सक्रिय भागीदार बनें।

१. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 २. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 ३. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 ४. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 ५. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 ६. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 ७. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 ८. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 ९. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।
 १०. संविधान का अर्थ है राष्ट्र का संविधान।

अथ विद्या केवलम् अस्मिन् विद्यायां भक्ति के खिल परे ही अर्पण किया गया है।

12. यदि प्रात्ययिक सशिवा आत्मा चित्तक के प्रदे पर नियुक्त हो जायतुक है तो यह नियम किनी के प्रात्ययिक को आत्मा के प्रदे पर नियुक्त कर रहेगा ।

9-13- कर्मचारी विन्तु प्रमाण D-12 को मापन अनुसूचीमा विनियमित रूपमा आवेदन - कर्मचारी
को मापन - यस मापनलाई प्रमाण / विनिर्माण प्रणाली जहाँ दिवसमा शरासजीव्य सौवर्ण
जहाँ नै मूल्य को प्रमाणित आ. से करियोग ।

[illegible]

9. निम्नलिखित विवरणों में 0.14 प्रतिशत आयु वर्ग के निम्नलिखित वर्गों में एक भी नहीं आया है:

[illegible]

16) अनुसूचित जाति/प्राय: निचले दर्जा के लोग एवं आदिवासी द्वारा समिदा
द्वारा निर्धारित एवं निर्धारित न होने वाले आयुधों, राखियों, शीशों, शाला, चमड़े, चमड़े

[illegible][illegible][illegible]

1990

100-443887-1000

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1000

अनुकरणा निषिद्धि के अन्तर्गत अनुकरणा एक लम्बे समय की जारी समीक्षा द्वारा
निर्धारित होता है। अनुकरणा निषिद्धि का प्रकरण निराकरण माना

17

10.8 सामग्री को लाने से दोस्त विन्दु कायुक्त 10.7 के अनुसंगानियुक्ति का आवेदन प्रस्तावित करने वाले प्रकरण संबंधित विभाग/कार्यालय को केवल प्रमुख अधिकारी के द्वारा

संस्कृत-भाषा-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

1. (i) दिया कि प्रसंगिक संवेदों के आधार पर अनुकूल निर्णय देने की स्थिति के

[illegible]

समाज की जा सकने

Figure 1

THE

100-443887-100

मैत्रेय विद्यापीठ, पुणे, मद्रास विद्यापीठ (मुद्रित) व (अंतराण) करान्तर्गत प्रत

1990

18

13.42 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक पी 3-7/2000/3/1 दिनांक 29

जुलाई, 2001 एवं दिसाक 22 नवंबर, 2002 द्वारा द्वारा निदेश प्रेषित सामुदायिक
 निदेशों के अन्तर्गत परिवार को योजना में मान्य रहित न होने पर यह होना कि यह बुराफे

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

अपने हृदय के मायासूत्र के अलग पद पर मोनोस्टी को आकर्षित किया।

1956 विनिर्दिष्टायां च एवं चर्चायां अधीक्षण आचार्यस्य स मन्त्रिका नियुक्तः कः यद रिक्तः

है, वे सामान्य विभाग, उनका अर्थान् रक्त, पेट, पेशाब, निमेषन के जरा-सा भेद
निर्देशों के एक मोड़ में अतिव्यास, अथवा अतिव्यास, निमित्त, वे प्रकृतिक रूप से

निर्देशों के अन्तर्गत निम्नलिखित कर्तव्य है।

... लावत, अनुदान, शिवाजी का प्रवर्धन मंजिले ...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

100

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

[illegible]

पृथक् आदेशानुसारं

100

आचार्य

100

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



पृ.क्रमांक सी-3-4/06/3/एक
प्रतिलिपि

नॉटिस दिनांक 14 अगस्त 08

19

1. श्री. दीपक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
2. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
3. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
4. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
5. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
6. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
7. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
8. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
9. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
10. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
11. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
12. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
13. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
14. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
15. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
16. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
17. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।
18. श्री. अशोक कुमार अष्टाना, मुख्य अभियंता, जिला ग्वालियर।

कार्यालय मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र, ग्वालियर।
Website: www.mp.gov.in/npwmp, E-mail: npwmp@mp.gov.in
Phone: 0751-2340932 Fax: 2341103

कमांक: उ/स्था/103/अ.नि./2/2008
प्रति,

ग्वालियर दिनांक

जिला दतिया।

ANNEXURE P/04

विषय: अनुकम्पा नियुक्ति श्री नितिन अष्टाना।

संदर्भ: कलेक्टर जिला ग्वालियर का पत्र क्र. क्यू/2-ख/स्था/6-2/25/(76)/2008
/10866 दिनांक 28 नवम्बर 2011

20

विषयान्तर्गत श्री नितिन कुमार अष्टाना पुत्र स्व. श्री सुधीर कुमार अष्टाना का नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-4/1/3/06 दिनांक 18.8.2008 की कड़िका 9.4 एवं 9.8 के प्राधानानुसार अनुकम्पा नियुक्ति यथा संभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जावेगी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व नियोजित था। का उल्लेख है तथा विभाग में पद रिक्त न होने पर कड़िका 10.1 के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजने का प्रावधान है। अतः उक्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

सहपत्र मूल अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण

सहपत्रों सहित (पृ.क्र.1 से 28 तक)

मुख्य अभियंता (उत्तर)

लोक निर्माण विभाग ग्वालियर

ग्वालियर दिनांक 22/12/2011

पृ.क्रमांक: उ/स्था/103/अ.नि./2/2008

प्रतिलिपि-

- 1/ कलेक्टर जिला ग्वालियर की ओर उनके संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
- 2/ कलेक्टर (जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ) जिला ग्वालियर की ओर उनके पत्र क्र. ज.शि.नि.प्र./2011/93 दिनांक 11.11.11 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
- 3/ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिम।
- 4/ श्री नितिन कुमार अष्टाना जैन, कम्प्यूटर एसोसिएट, गज गेट सदर बाजार मुरार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य अभियंता (उत्तर)
लोक निर्माण विभाग ग्वालियर

12-2011

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, दतिया

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति श्री नितिन कुमार अष्ठाना।
संदर्भ :- मुख्य अभियंता (उत्तर) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर का पत्र क्रमांक 3/स्था/103/अ.नि./2/08/10116 दिनांक 22.12.2011

—00—

कृपया संदर्भित पत्र के द्वारा श्री नितिन कुमार अष्ठाना पुत्र स्व0 सुधीर कुमार अष्ठाना का अनुकम्पा नियुक्ति संविदा शाला वर्ग-2 के लिये प्राप्त हुआ है। श्री नितिन कुमार अष्ठाना द्वारा दी गई सहमति में संविदा शाला वर्ग-2 को प्राथमिकता देकर संविदा शाला वर्ग-3 की सहमति दी गई है। आवेदक ने अपने आवेदन में शैक्षणिक योग्यता बी0काम0 दर्शाई है।

अतः कृपया शीघ्र अवगत करावें कि जिले में आपके अधीन संविदा शाला वर्ग-2 के कितने पद रिक्त हैं, ताकि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रकरण आपकी ओर भेजा जा सके।
संलग्न:- एक

अपर कलेक्टर,

जिला दतिया (म0प्र0)

पू.क./स्था./6-2/अनु.नि./2011

9908-3
3-12-11

दतिया, दिनांक 29-12-2011

प्रतिलिपि :-

- मुख्य अभियंता (उत्तर) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- श्री नितिन कुमार अष्ठाना जैन कम्प्यूटर एसोसिएट, गंज गेट सदर बाजार मुरार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर,

जिला दतिया (म0प्र0)

प्रति,

श्री नितिन कुमार अष्ठाना द्वारा
जैन कम्प्यूटर एसोसिएट गंज गेट सदर बाजार
मुरार, ग्वालियर

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में।

आपका प्रकरण संविदा शाला शिक्षक वर्ग - 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ था। प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि संविदा शाला शिक्षक के नवीन भर्ती नियम राजपत्र 27 जून 2011 से संविदा शाला शिक्षक के पद पर अप्रशिक्षित अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंक निर्धारित अर्हता में होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में आपकी नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग - 3 के पद पर की जाना संभव नहीं है।

अतः आप पात्रता में नहीं आते हैं। शासन नियमानुसार आप को 1.00 लाख रुपये संबंधित विभाग से दिये जा सकते हैं। कृपया संबंधित विभाग में आवेदन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत दतिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- कलेक्टर जिला दतिया की ओर सूचनार्थ।
- मुख्य अभियंता (उत्तर) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत दतिया (म.प्र.)

ANNEXURE P/7

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

(23)

Writ Petition No. 4059 / 2013

PETITIONER :

Nitin Asthana S/o Late Shri Sudhir Asthana, Aged 28 years, Occupation- Nothing, R/o Sudamapuri, C/o Shri Gajendra Rawat, Morar, Gwalior (M.P.)

Presented by: [Signature]
By: [Signature]

-Versus-

RESPONDENTS :

1. State of M.P. through the Principal Secretary, Public Works Department, Mantralaya, Govt. of M.P. Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.)
2. Chief Engineer, North, Public Works Department, Gwalior (M.P.)
3. Executive Engineer, Public Works Department, Division Datia (M.P.)
4. Collector, District Datia (M.P.)
5. Janpad Panchayat Datia, through its Chief Executive Officer

[WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

May it please this Hon'ble Court;

ANNEXURE-C

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE No. OF 20

ORDER SHEET (Continuation)

Date & S. No. of the order	Order
	<p>W.P. No.4059/2013(S) (Nitin Asthana Vs. State of M.P.)</p> <p>National Lok Adalat (Coram: Hon'ble Shri Justice M.C. Garg & Shri V.K. Bhardwaj, Sr. Advocate)</p> <p>13.12.2014</p> <p>Shri Amit Lahoti, Advocate for the petitioner.</p> <p>Shri P. P. Solanki, Govt. Advocate for the respondent/State.</p> <p>This petition under under Article 226 of Constitution of India has been filed by the petitioner challenging the order passed by respondent no. 5 on 18.04.2012.</p> <p>Petitioner is aggrieved by the action of the respondents that despite availability of vacant post in the PWD department itself, petitioner's case was not being considered for appointment on compassionate ground. He was asked to file an affidavit with qualification etc for the purpose of his appointment as Samvida Shala Shikshak Grade III, however, his request for that post too was not accepted on the ground that he was not fulfilling the required eligibility criteria for the said post.</p> <p>Respondents agreed to consider the case of petitioner for compassionate appointment against the vacancies available in the PWD or in the alternative</p>


ANNEXURE-C
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE No. OF 20

ORDER SHEET (Continuation)

(24)

Date & S. No. of the order	Order
	<p align="center">W.P. No.4059/2013(S) (Nitin Asthana Vs. State of M.P.)</p> <p>departments within a period of two months from today.</p> <p>With the aforesaid, petition stands disposed of.</p> <p>(M.C. Garg) Member</p> <p>(V.K. Bhardwaj) Member</p>



LOK ADALAT
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : BENCH, GWALIOR

(Proceedings under chapter VI of the Legal Services Authorities Act, 39 of 1987 and Lok Adalat Scheme of 1997 framed there under)

High Court Case
(With cause title) No. W.P. 4059/13 (S)

Lok Adalat
Registration No. 99

Nitin Asthana

Party No. 1

V/s

State of M.P.



Party No. 2

BENCH OF LOK ADALAT

Colan: Honble Shri Justice M.C. Garg &
Shri V.K. Bhardwaj Sg. Advocate

TERMS OF SETTLEMENT

We, the parties in the matter mentioned above, have voluntarily settled disputes / claim / controversies / complaints between us before the High court Lok Adalat amicably, on the terms and conditions mentioned below and pray that an award / order in terms thereof be passed which shall be binding on both of us and shall be enforceable as a decree u/s 21 of the Act, 39 of 87.



(25)



Party No. 1

Amit Lakshmi
Borah

Counsel for the party No. 1

Party No. 2

Pray

Counsel for the party No. 2

AWARD / ORDER

(Passed by the Bench of Lok Adalat u/s 21 of the Act. No. 39 of 1987)

The above mentioned case / matter between the parties has been settled on the terms and conditions amicably agreed to by the parties which we have found to be just and fair. The terms and conditions of settlement mentioned above as agreed between the parties shall be treated as part of the award / order and shall be binding and enforceable as a decree u/s-21 of the Act No. 39 of 1987. The settlement was read over and explained to the parties which was accepted to be correct.

The award / order on the above mentioned terms of settlement has been passed this

.....day ofat Gwalior.

Which has been duly signed by the parties and their counsel in our presence.

Member

Member

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY

Section Officer

प्रति,

ANNEXURE

1/8

(26)

श्रीमान कलेक्टर महोदय

जिला दतिया म0प्र0

विषय- अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु।

संदर्भ- माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में पारित निर्णय याचिका क्रमांक 4059/2013 निर्णय दिनांक 13.12.2014 के अनुपालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री सुधीर कुमार अष्ठाना का स्वर्गवास दिनांक 10.08.2007 को शासकीय सेवा के दौरान हुआ था इस दिशा में प्रार्थी द्वारा विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया गया था किन्तु सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में जाने को विवश होना पड़ा। प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश के परिपेक्ष में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाने हेतु निर्णय जारी किया गया है।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की दिशा में आदेश प्रस्तावित कर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कृपा करें।

दिनांक-05.02.2015

प्रार्थी




संलग्न-

माननीय उच्च न्यायालय
के आदेश की प्रति

प्रतिलिपि-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकनिर्माण विभाग जिला दतिया म0प्र0

नितिन अष्ठाना पुत्र स्व. श्री सुधीर
कुमार अष्ठाना निवासी गजेन्द्र
रावल सुदामापुरी मुरार ग्वालियर



प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

लोक निर्माण विभाग

जिला दतिया म0प्र0

विषय- अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु।

संदर्भ- माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में पारित निर्णय
याचिका क्रमांक 4059/2013 निर्णय दिनांक 13.12.2014 के
अनुपालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री
सुधीर कुमार अष्ठाना का स्वर्गवास दिनांक 10.08.2007 को शासकीय
सेवा के दौरान हुआ था इस दिशा में प्रार्थी द्वारा विभाग में आवेदन
प्रस्तुत किया गया था किन्तु सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं होने की स्थिति
में प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में जाने को विवश होना पड़ा।
प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश के परिपेक्ष में
अनुकम्पा नियुक्ति दी जाने हेतु निर्णय जारी किया गया है।

अतः विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने
की दिशा में आदेश प्रस्तावित कर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कृपा करें।

दिनांक-05.02.2015

प्रार्थी

संलग्न-

माननीय उच्च न्यायालय

के आदेश की प्रति

प्रमाणित

नितिन अष्ठाना पुत्र स्व. श्री सुधीर

कुमार अष्ठाना निवासी- गजेन्द्र

रावल सुदामापुरी मुरार ग्वालियर

(27)

Maheshwari & Associates
Law Firm (Advocacy & Consultancy)
M.P. High Court

Nimbalkar Ki Goth No.2, Huzrat Pul,
Naya Bazar, Lashkar, Gwalior (M.P.)
Ph.: 0751-2620888 (O) 2371888 (R)
e-mail: maheshwariassociates@gmail.com

11th May, 2015

CONTEMPT NOTICE

To:

1. The Chief Engineer, North
Public Works Department
Gwalior.
2. The Collector
Distt. Datia
3. The Executive Engineer
Public Works Department
Division Datia

Under the instructions of my client Nitin Asthana S/o Late Shri Dudhir
Asthana, aged 30 years, Occupation: Nothing, R/o Sudamapuri, C/o
Shri Gajendra Rawat, Morar, Gwalior (M.P.), I hereby serve upon you the
contempt notice as under:

1. That, my client has filed a writ petition before the Hon'ble High
Court of M.P. Bench at Gwalior which was registered as
W.P.No.4059/13. The aforesaid petition was filed against the
inaction of you noticees whereby the compassionate appointment
has not been given to my client on account of the death of his
father.
2. That, earlier it has been informed to my client that since the
vacancies are not available in the PWD and therefore my client
should give affidavit for the appointment on the post of Samvida
Shala Shikshak Varg-3. However, when my client has given the
affidavit in this regard, the Chief Executive Officer of the Janpad
Panchayat, Datia has passed an order on 18.4.2012 on the
ground that my client is not possessing the qualification for the
post of Samvida Shala Shikshak Varg-3. However, such order and
action was put to challenge by my client and the Hon'ble High
Court in National Lok Adalat has passed an order 13.12.2014 in
the following terms:

P.T.O.

"Respondents agreed to consider the case of the petitioner for compassionate appointment against the vacancies available in the PWD or in the alternative department within a period of two months from today. With the aforesaid, petition stands disposed of".

3. That, consequent thereupon my client has intimated to you noticees on 5.2.2015 regarding such order passed by the Hon'ble High Court and regarding considering the case of my client for appointment on compassionate ground not only the post are vacant in the PWD but also in various other departments and therefore the same is required to be considered in view of the Hon'ble Court's order.
4. That, after giving such intimation two months time has already expired and you noticees have not considered the case of my client and such action of you noticees in not complying the order of the Hon'ble Court is a willful and deliberate flouting of the order of the Hon'ble Court which amounts to the contempt of the lawful authority of the Hon'ble Court and makes you liable for punishment.

It is, therefore, requested kindly give compassionate appointment to my client in accordance with the order of the Hon'ble Court dated 13.12.2014 passed in W.P.No.4059/13 within a period of 15 days from the date of receipt of this notice, in the absence of which my client shall be constrained to initiate the contempt proceeding against you noticees, the cost and consequences of which shall be borne by you.


(Amit Lahoti)
Advocate

भारतीय डाक
India Post
SL. NO. HIGH COURT (074011)
A. R1302070355 IN
Counter No.1, DE-Code:05
To:CHIEF ENGG. NORTH, D/O P.W.D.
GATEWAY, PIN-474001
From:AMIT LAHOTI ADV., GUL
Wt:15grams.
Anti:02.00, 11/05/2015, 12:14
<Track on www.indiapost.gov.in>

भारतीय डाक
India Post
SL. NO. HIGH COURT (074011)
A. R1302070355 IN
Counter No.1, DE-Code:05
To:EXE. ENGG. D/O P.W.D. DN.
Bafra S.O., PIN-475661
From:AMIT LAHOTI ADV., GUL
Wt:15grams.
Anti:02.00, 11/05/2015, 12:14
<Track on www.indiapost.gov.in>

भारतीय डाक
India Post
SL. NO. HIGH COURT (074011)
A. R1302070355 IN
Counter No.1, DE-Code:05
To:COLLECTOR,
Bafra S.O., PIN-475661
From:AMIT LAHOTI ADV., GUL
Wt:15grams.
Anti:02.00, 11/05/2015, 12:15
<Track on www.indiapost.gov.in>

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 6 / 01 / 2016

क्रमांक-एफ-19-484/2015/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग-दतिया को मान.उच्च न्यायालय, ग्वालियर में डब्ल्यू.पी.प्रकरण क्रमांक-4357/2015 द्वारा श्री निरंजन अस्थाना विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाओं पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म. प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना..... प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमा है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकदमा है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सुनील मंडावी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र.-एफ-19-484/2015/स्था./19

भोपाल, दिनांक 6/01/2015

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मान.उच्च न्यायालय, ग्वालियर म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण उत्तर-परिक्षेत्र-ग्वालियर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग- दतिया को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही मान.उच्च न्यायालय, ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जा सके।
6. जिलाध्यक्ष-दतिया।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग